रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 28 अगस्त, 1989/6 भाद्रपद, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्थानीय स्वशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 अगस्त, 1989

संख्या एल० एस० जी० 5 (3)/76-I.—सरकार द्वारा यह पाया गया है कि नगरपालिका, धर्मशाला ने, नगरपालिका निधि के प्रयोग और खोखों के आबंटन के बारे में गम्भीर अनियमितताएं की है और सरकार के आदेशों की निरन्तर अवज्ञा की है, और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है;

और नगरपालिका, धर्मशाला को इस विभाग के सम संख्यांक ज्ञापन तारीख 23 मई, 1988 द्वारा श्री कमल कांत मिनोचा, प्रधान, नगरपालिका धर्मशाला के माध्यम से अनियमितताओं आदि का स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस दिया गया था;

और नगरपालिका, धर्मशाला ने नोटिस के प्रति पत्र संख्या शून्य, तारीख 28-6-1988 द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत किया था;

और नगरपालिका, धर्मशाला द्वारा उसके प्रधान के माध्यम से दिए गए स्पष्टीकरण पर सरकार द्वारा

विचार किया गया और यह निम्नलिखित कारणों पर असंतोषजनक पाया गया:—

(1) नगरपालिका ने मैकलोड गंज में 11 व्यक्तियों को स्टाल निर्माण करने के लिए स्थान का संदोष आबंटन किया था । नगरपालिका की यह कार्रवाई नियमानुसार और लोक हित में नहीं थी । वस्तुतः स्थान की नीलामी की जानी अपेक्षित थी और यह स्थान सब से ऊंची बोली लगाने वाले को आबंटित किया जाना अपेक्षित था । नगरपालिका के प्रस्ताव को निलम्बित करने के प्रति उपायुक्त के दिए गए विशेष आदेशों के होत हुए भी नगरपालिका ने उपायुक्त के निदेशों की अनुपालना करने में कोई ध्यान नहीं दिया ।

(2) सरकार ने नगरपालिका धर्मशाला की जल-प्रदाय स्कीम का भार इसकी आस्तियों और दायित्वों और कर्मचारी वृंद सहित अपने जिम्मे लिया था । श्री नागर मल एम0 ई0 की सेवाएं भी सरकार द्वारा ली गई थी और उसका स्थानांतरण किया गया और उसे सुजानपुर टीहरा में तैनात किया गया था तथा उसे नगरपालिका से भारमुक्त कर दिया गया था, किन्तु ऐसा होने पर भी नगरपालिका ने उसकी सेवाएं रखने के लिए प्रस्ताव पारित किया था, यद्यपि ऐसा करने के लिए उसके पास कोई औचित्य नहीं था ।

(3) नगरपालिका धर्मशाला ने सरकार के आदेशों की अवज्ञा करते हुए, श्री नागर मल को अपना वेतन और भत्ते इत्यादि नगरपालिका निधि से प्राप्त करने की अनुमति दे दी यद्यपि उसे नगरपालिका धर्मशाला से भारमुक्त कर दिया गया था । इस प्रकार से समिति ने नगरपालिका निधि का दुरुपयोग किया था ।

(4) धर्मशाला, कोतवाली बाजार के श्री महेन्द्र कुमार को बस अड्डे के समीप स्थान का आबंटन ।

इस स्थान को खुली नीलामी में पट्टे पर दिया जाना अपेक्षित था, किन्तु नगरपालिका ने इसके प्रति उपयुक्त प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया और नियमों तथा प्रक्रिया के उल्लंघन में श्री महेन्द्र कुमार को स्थान आबंटित कर दिया गया था ।

और राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि नगरपालिका धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 के अधीन विहित अपने कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रही है । इस प्रकार से नगरपालिका ने नगरपालिका निधि का दुरुपयोग किया है और जानबूझ कर निरन्तर सरकार के आदेशों/निदेशों की अवज्ञा भी की है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 की धारा 253 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषित करते हैं कि नगरपलिका धर्मशाला का तुरन्त अधिक्रान्त किया जाता है ।

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 253 की उप-धारा (2) के खण्ड (बी) के साथ पठित धारा 252-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त धर्मशाला को प्रशासक पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन उक्त समिति को समस्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए तब तक के लिए तुरन्त नियुक्त करते हैं । जब तक की नगरपालिक धर्मशाला का पुनर्गठन नहीं हो जाता है ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

[*Authoritative English text of this Government Notification No LSG-5(3)/76-I, dated 3-8-89 as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 3rd August, 1989

No. LSG 5-(3)/76-I.—Whereas it has been noticed by the Government that the Municipal Committee, Dharamshala committed serious irregularities in respect of use of Municipal funds, allotment of khokhas and persistently defied the Government orders and misused its power;

And whereas the Municipal Committee, Dharamshala was served a notice through Shri Kamal Kant Minocha, President, Municipal Committee, Dharamshala to explain the irregularities etc. *vide* this Department memorandum of even number, dated 23rd May, 1988;

And whereas the Municipal Committee, Dharamshala submitted its reply *vide* letter No. nil, dated 28-6-1988 to the aforesaid notice;

And whereas the explanation tendered by the Municipal Committee, Dharamshala through its President has been considered by the Government and the same was found unsatisfactory on the following reasons:—

(*i*) The Committee had made wrongful allotment of space to 11 persons at Macleodganj for the construction of stalls by them. This action of the Committee was not in accordance with the rules and in public interest. The space was required to be auctioned and allotment was to be made to the highest bidder. Inspite of the specific orders of the Deputy Commissioner who had suspended the resolution of the Municipal Committee, the Municipal Committee did not care to comply with the directions of the Deputy Commissioner.

(*ii*) The Government had taken over the water supply scheme of the Municipal Committee, Dharamshala alongwith its assets and liabilities and staff. The services of Shri Nagar Mal, M. E. were also taken over by the Government and he was transferred and posted at Sujanpur Tira. He was also relieved from the Municipal Committee, but the Municipal Committee, inspite of this, passed a resolution for retaining his services in the Municipal Committee even when there was no justification.

(*iii*) The Municipal Committee, Dharamshala in defiance of orders of the Government allowed Shri Nagar Mal the pay and allowances etc. from the Municipal fund even though he was relieved from the Municipal Committee, Dharamshala. In this way the Committee misutilised the Municipal funds.

(*iv*) Allotment of space to Shri Mohinder Kumar of Kotwali Bazar, Dharamshala, near the new Bus Stand, was required to be leased out in open auction, but the Municipal Committee, did not follow the proper procedure and alloted space to Shri Mohinder Kumar in violation of the rules and procedure.

And whereas the State Government is satisfied that Municipal Committee, Dharamshala failed to discharge its functions and duties prescribed under the Himachal Pradesh Municipal Act, 1968 and misused the Municipal Fund and also delibrately and persistently defied the Government orders/directions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 253 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1968 the Governor of Himachal Pradesh is pleased to declare that the Municipal Committee, Dharamshala is superseded with immediate effect.

Further in exercise of the powers conferred by section 252-A read with clause (*b*) of sub-section (*2*) of section 253 of the Act *ibid*, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the Additional Deputy Commissioner, Dharamshala as Administrator to exercise and perform all the powers and functions of the said Committee under the aforesaid Act until the Municipal Committee, Dharamshala is reconstituted.

By order,
A. K. MAHOPATRA,
Commissioner-cum-*Secretary*.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।